

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9 / उपांकीट०अनु०-41 / 2012-
प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांक

2014.

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०स०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अखिलेश्वर राय,
मेसर्स महाबीर बजरंग एग्रो केमिकल्स प्रा० लि०,
इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, बेला,
मुजफ्फरपुर-842005

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या 92 दिनांक 06.12.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित स्वनिर्मित कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति सं०-१२ दिनांक 06.12.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०स०	कीटनाशी का नाम
1	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP
2	Mancozeb 75% WP

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा-- मेसर्स महाबीर बजरंग एग्रो केमिकल्स प्रा० लि०, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, बेला, मुजफ्फरपुर-842005 (फैक्ट्री पता)

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/ कृ०, पटना, दिनांक २५-११- 2014

ज्ञापांक 528।

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बैचाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।